न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी— हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
07/2022	10/11/2022	30/1/26

1. अनिताबाई आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति बैरागी नि. अयानी
2. संतोष बाई आयु वर्ष पुत्री मांगीलाल जाति बैरागी नि. अयाना तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज.

प्रार्थीगण

बनाम

1.चमेलीबाई पत्नी स्व. मागीलाल
2. गिरिजा बाई स्व. ओमप्रकाश
3. राधिका पुत्र ओमप्रकाश
4. विनोदबी ई पुत्री ओमप्रकाश
5. सुमित्रा बाई पुत्री ओमप्रकाश जातियां बैरागी निवासीगण अयानी तहमीन पीपल्दा जिला कोटा
6. श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील पीपल्दा जि० कोटा राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ताः— श्री रमेश बेरवा एड0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के संयुक्त खाते एवं कब्जे काश्त की पैतृक कृषि आराजी जमाबंदी संवत 2075—2078 के अनुसार ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का अयानी भू.अभि.नि. श्रेत्र अयाना तह. पीपल्दा से खाता संख्या नया 2 पुराना 50 में खसरा नंबर 93 की रकबा 0.37 है0 एवं जमाबंदी संवत 2073—2076 के अनुसार वाके माल ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू.अभि. नि. श्रेत्र अयाना तह0 पीपल्दा जि. कोटा राज0 से खाता संख्या नया 294 पुराना 278 में खसरा नंबर 1187/1235 रकबा 0.13 है0 एवं वाले माल अयानी पटवार हल्का अयानी भू. नि. क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में खाता सं. नया 7 पुराना 6 मे खसरा नंबर 1187 की रकबा 1.93 है0 भूमि स्थित है। प्रार्थीया क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम विमलाबाई पुत्री मांगीलाल एवं सन्तीबाई पुत्री मांगीलाल दर्ज चला आ रहा है, जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम अनिताबाई पुत्री मांगीलाल एवं संतोष बाई पुत्री मांगीलाल राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैंक रिकार्ड एवं पंचायत तस्दीक में दर्ज चला आ रहा है, तथा राजस्व रिकॅार्ड की उक्त त्रुटि से प्रार्थीयागण को राजस्व संबंधित कार्यों एवं बैंक, सहकारी संस्थाओं से अनुदान एवं ऋण प्राप्ति हेतु अनेक परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीयागण का राजस्व रिकार्ड से गलत इन्द्राज नाम विमला बाई पुत्री मांगीलाल एवं सन्तीबाई पुत्री मांगीलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर प्रार्थीयागण का वास्तविक नाम अनिताबाई पुत्री मांगीलाल एवं संतोष बाई पुत्री मांगीलाल किया जाना अपेक्षित है, एवं न्यायोचित है। प्रार्थीयागण के पिता की मृत्यु पश्चात जरिये फोती नामान्तरण वक्त सहवन से हुई उक्त त्रुटि को दुरुस्त करवाये जाने हेतु अप्रार्थीगण क्रम 6 श्रीमान तहसीलदार महोदय पीपल्दा से कई मर्तबा कहने एवं अंत में दिनांक 16—7—2022 को स्पष्ट रूप से मना करने पर श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है, तथा अप्रार्थी 6 भू—लैण्ड होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है. जिनसे कोई अनुत्तोष नही चाहा गया है। पहचान पत्र, जनआर कार्ड, राशन कार्ड एवं ग्राम पंचायत के सरपंच की तस्दीक तहरीर प्रार्थना पत्र के समर्थन में संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना में वर्णित कृषि भूमि ग्राम रघुनाथपुरा एवं आयनी के राजस्व रिकार्ड में गलत नाम विमला बाई पुत्री मॉंगीलाल के स्थान पर अनिता पुत्री मांगीलाल, एवं सन्ती बाई पुत्री मांगीलाल के स्थान पर संतोष बाई पुत्री मांगीलाल वास्तविक नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र श्री रमेश बैरवा एड0 ने पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजि0 किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी कम 1, 2, 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेन्द्र सिह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। मुताबिक जवाब सरकार ग्राम अयानी की जमाबंदी संवत 2073—2076 के खाता संख्या 7 व 294 तथा ग्राम रघुनाथपुरा की

जमाबंदी संवत 2075–2078 के खाता संख्या 2 में वादीगण का नाम विमला बाई व सन्ती बाई दर्ज रिकार्ड हैं वाद के साथ संलग्न दस्तावेजों में वादीगणों का पहचान पत्र में अनिता कुमारी पत्नी घनश्याम ,राशन कार्ड व आधार कार्ड में अनीता बाई पत्नी घनश्याम है तथा पहचान पत्र और आधार कार्ड में संतोष बाई पत्नी महावीर व राशन कार्ड में संतोषी बाई पत्नी महावीर तथा व वादीगण का निवास स्थान इटावा है मृतक खातेदार मांगीलाल की मृत्यु पश्चात फोती नामांतरण ग्राम अयानी में नामांतरण संख्या 724 दिनांक 05/06/2015 व ग्राम रघुनाथपुरा में नामांतरण संख्या 216 दिनांक 20/08/ 2015 से वारिसान के नाम दर्ज किए गए। जिसमें पुश्त पर अंकित खसरे में भी वादीगण का नाम विमला बाई व सन्तीबाई ही दर्ज है।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो तथा ग्राम पंचायत अयानी की रिपोर्ट के अनुसार मांगीलाल पुत्र घनश्याम दास नि0 अयानी के रहने वाले है इनकी पुत्री का नाम संतोष बाई है तथा पहचान पत्र और आधार कार्ड में संतोष बाई पत्नी महावीर व राशन कार्ड में संतोष बाई दर्ज है। विमला बाई और अनीता बाई के एक ही व्यक्ति होने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है। ना ही कोई प्रमाणित सजरा संलग्न नहीं है तथा सहखातेदारों की भी सहमति नहीं है। अतः बिना प्रमाण के एक नाम को दूसरे नाम से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है। अतः ग्राम रघुनाथपुरा पटवार हल्का अयानी भू.अभि.नि. श्रेत्र अयाना तह. पीपल्दा से खाता संख्या नया 2 पुराना 50 में खसरा नंबर 93 की रकबा 0.37 है0 एवं जमाबंदी संवत 2073–2076 के अनुसार वाके माल ग्राम अयानी पटवार हल्का अयानी भू.अभि. नि. श्रेत्र अयाना तह0 पीपल्दा जि. कोटा राज0 से खाता संख्या नया 294 पुराना 278 में खसरा नंबर 1187/1235 रकबा 0.13 है0 एवं वाले माल अयानी पटवार हल्का अयानी भू. नि. क्षेत्र अयाना तहसील पीपल्दा में खाता सं. नया 7 पुराना 6 मे खसरा नंबर 1187 की रकबा 1.93 है0 भूमि में प्रार्थिया का नाम सन्ती बाई पुत्री मांगीलाल के स्थान पर संतोष बाई पुत्री मांगीलाल दर्ज किया जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा